एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित दिनांक- 06/05/2023

आदेश पारित दिनांक-14/06/2023

सीआरए संख्या- 514/2021

लछराम उर्फ छोटे लाल साहू पुत्र सम्हन प्रसाद साहू
उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम– भैसो, थाना– पामगढ़,
जिला– जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

---- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा–थाना पामगढ, जिला –जांजगीर –चांपा छ.ग.

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

अपीलकर्ता की ओर से : श्री रवींद्र शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : श्री राघवेंद्र प्रधान, अपर लोक अभियोजन।

.....

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, जे. एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, जे.

सी.ए.वी. आदेश

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल के अनुसार,

1. यह अपील विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर, जिला - जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 63/2019 में दिनांक

30.01.2021 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है तथा निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:-

धारा के अंतर्गत अपराध	सजा
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302	आजीवन कारावास एवं 500/-रूपये का जुर्माना, जुर्माना राशि अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201	पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/-रूपये का जुर्माना, जुर्माना राशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास. दोनो सजाऐं एक साथ चलेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, दिनांक 26.06.2019 को मृतक खिकराम निर्मलकर की पत्नी चित्ररेखा निर्मलकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25.06.2019 को उसके पति व बेटी घर में मौजूद थे तथा रात्रि लगभग 8:30 बजे उसका पति घर की छत पर सोने चला गया। तत्पश्चात रात्रि लगभग 12:00 बजे उसका पति जागकर तालाब की ओर शौच के लिए चला गया तथा वापस आकर पुनः छत पर सोने चला गया। दूसरे दिन (दिनांक 26.06.2019) को प्रातः लगभग 5:30 बजे जब उसका पति नहीं उठा, तो वह छत पर गई और देखी कि उसका पति खून से लथपथ पड़ा था

और उसके गले पर गम्भीर चोट थी। मृतक की पत्नी (अ.सा. 1) की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध देहाती नालिशी (प्र.पी.1) पंजीबद्ध किया। पुलिस ने अपीलार्थी का मेमोरेण्डम (प्र.पी.7) दर्ज किया। जिसके आधार पर अमहा तालाब से खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद की गई, जबकि बंधवा तालाब से एक फुल टी-शर्ट, अंडरवियर, दुपट्टा (गमछा), बैग और ईंट भी बरामद की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.06.2019 (प्र.पी.11) को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूर्ण होने के पश्चात, पुलिस ने आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 एवं 201 भा.द.वि के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों का परीक्षण कराया । अपीलकर्ता/आरोपी का द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने खिलाफ पेश परिस्थितियों से इनकार किया और मामले में खुद को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना अभिव्यक्त किया है । अपीलकर्ता ने अपने बचाव में 02 गवाह पेश किए। विचारण न्यायालय ने गवाहों के मूल्यांकन एवं पक्षकारों के तर्क के बाद अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराध का दोषी पाया और पैरा-1 में उल्लेखित अनुसार उसे सजा सुनाई।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि की दृष्टि से गलत है। एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई थी, अपीलकर्ता ने उसके

खिलाफ आरोपित कोई अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है। वर्तमान मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के दोष को साबित करने के लिए सभी युक्तियुक्त संदेह से परे परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास और लोप हैं और अपीलकर्ता/आरोपी द्वारा दिया गया मेमोरेण्डम बयान स्वैच्छिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हथियार 28.06.2019 को जब्त किया गया था और 15.07.2019 को चिकित्सा अधिकारी को पूछताछ के लिए भेजा गया था, जिसे आगे 29.07.2019 को पूछताछ के लिए भेजा गया था, इस अवधि के दौरान हथियार को सील या संरक्षित नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष जब्त हथियार/वस्तु को एफ.एस.एल. के लिए भेजने में हुई देरी का स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। अपीलकर्ता/आरोपी का मेमोरेण्डम बयान पंचायत भवन में दर्ज किया गया जबकि इसे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना था। उन्होंने यह भी कहा कि जांच अधिकारी (अ.सा.11) ने उन फंसाने वाली परिस्थितियों के श्रृंखला के बारे में गवाही नहीं दी जिससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 08 के अनुसार अपीलकर्ता/आरोपी का बाद का आचरण महत्वपूर्ण है और वह उस स्थान से भागा नहीं था जहां वह काम कर रहा था। उन्होंने अंत में कहा कि विचारण न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करके गलती की है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने में विफल रहा है और अभियोजन पक्ष का मामला किसी भी ठोस चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य के अभाव में अनुमान/संभावना पर आधारित है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जाना चाहिए और न्याय के हित में आरोपी/अपीलकर्ता को बरी किया जाना चाहिए। उन्होंने **रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1** एवं **रमेश कुमार बनाम पंजाब राज्य 2** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

---

1. ए आई आर 2022 एस सी 5273
2. ए आई आर एस सी (सुप्रीम कोर्ट) 133

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा न्यायालय के निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

7. अभियुक्त/अपीलार्थी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अन्यत्र उपस्थिति का तर्क देकर अपना बचाव किया है। इस

सम्बन्ध में बचाव पक्ष के गवाह उपेश सिंह (ब.सा.1) तथा बचाव पक्ष के गवाह सरवन (ब.सा.2) के बयान दर्ज किये गये हैं। बचाव पक्ष के गवाह उपेश सिंह (ब.सा.1) ने केवल खिखराम की हत्या के बारे में बताया है। अपीलार्थी के बचाव के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया गया है।

8. बचाव पक्ष के गवाह सरवन (ब.सा.2) जो कि ग्राम लगरा का निवासी है, ने बताया कि उसके बयान से 7-8 माह पूर्व जब वह ग्राम लगरा में मकान बनवा रहा था, तो अपीलार्थी उसके गांव आया था। अपीलार्थी मकान बनवाने में उसकी मदद कर रहा था तथा उसके साथ रह रहा था। बाद में पुलिस ने अपीलकर्ता को पकड़ लिया और पामगढ़ थाने ले जाकर उसकी और अपीलकर्ता की पिटाई की। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि उसके गांव लगरा और भैंसो गांव की दूरी 8-10 किलोमीटर है। वह यह नहीं बता पाया कि उसने किस तारीख से अपना मकान बनवाया है और वह यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि घटना के समय अपीलकर्ता उसके गांव आया था और मकान बनवाने में मदद की थी। दोनों गांवों की दूरी मात्र 8-10 किलोमीटर है। बचाव पक्ष के गवाह सरवन ने अपीलकर्ता के आने की तारीख और समय स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ता की गैर मौजूदगी के तर्क का बचाव न तो सार्थक है और न ही साबित होता है।

9. अभियोजन पक्ष को पहले अपना मामला साबित करना होगा उसके बाद ही बचाव का भार अपीलकर्ता पक्ष पर आता है, इसलिए सबसे पहले यह देखना होगा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित किया है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं तर्क पर आधारित है। घटनाक्रम के अनुसार मृतक खीखराम ग्राम भैसो में अपने घर की छत पर सो रहा था, तभी रात्रि में धारदार हथियार से गर्दन रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले उसे उसकी पत्नी चित्ररेखा निर्मलकर (अ.सा.1) ने मृत अवस्था में देखा। चित्ररेखा की ही सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध देहाती नालिसी (प्र.पी.1) एवं मर्ग सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.2) दर्ज की है। प्रथम सूचना में अपीलार्थी से दुश्मनी या कारण के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया।

11. अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों में मृतक के परिजनों में पत्नी अ.सा.1 (चित्ररेखा निर्मलकर), पुत्री अ.सा.2 (धनेश्वरी निर्मलकर), पुत्र अ.सा. 3 (शिव नारायण निर्मलकर) शामिल हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सतीश कुमार रात्रे (अ.सा. 4) एवं मनोज कुमार गौरहा (अ.सा. 9), अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 7, तलाशी पंचनामा प्र.पी. 8, ग्राम भैसो स्थित अमहा तालाब से कुल्हाड़ी की बरामदगी प्र.पी. 9 तथा कथित रूप से टी-शर्ट, अंडरवियर, दुपट्टा (गमछा), जूता, फटी हुई अवस्था में बैग एवं एक ईंट का टुकड़ा बरामद होना प्र.पी. 10 है। प्रकरण की सम्पूर्ण जांच उपनिरीक्षक राजकुमार लहरे (अ.सा.11) द्वारा की गई है।

13. काशीराम (अ.सा. 5) मृतक का चचेरा भाई है, जिसने मृतक की बच्ची जलेश्वरी की सूचना पर घटना की सूचना दी है तथा शव पंचनामा का साक्षी है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने बचाव पक्ष/अपीलार्थी के इस सुझाव के बारे

में बताया है कि पुलिसकर्मी घटना के बाद सुबह 9-10 बजे गांव में आए थे और लिखा-पढ़ी किये थे उसके बाद अगले दिन गांव आये थे । इन दो दिनों के बीच में उसने पुलिस को बयान दिया था जिसमें उसने बताया था कि गांव में शोर-शराबा हो रहा था और बंधवा तालाब व अमहा तालाब से कपड़े व कुल्हाड़ी बरामद हुई थी। बचाव पक्ष ने इस बयान पर जोर देते हुए तर्क दिया कि सामान की जब्ती अपीलार्थी के कहने पर नहीं की गई थी। जब्ती सार्वजनिक उपयोग के खुले तालाब से की गई है। जिस तालाब में सभी ग्रामीण नहाते है। आरोपी के मेमोरेण्डम बयान से पहले ही लोगों को तालाब में कपड़े व कुल्हाड़ी पड़े होने की जानकारी हो गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. पवन कुमार पटेल (अ.सा. 6) जो मृतक का पड़ोसी है, ने घटना की जानकारी मिलने के बाद 112 नम्बर (पुलिस) पर फोन करके सूचना दी तथा तालाब में पुलिस द्वारा तलाशी लेने की जानकारी दी है। इस साक्षी ने बचाव /अपीलार्थी पक्ष के सुझाव पर प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी कहा है कि जहां खिखराम की मृत्यु हुई थी, वहां एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, जिसे पुलिसकर्मी ले गए थे। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि पुलिस ने उक्त कुल्हाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तथा पुलिसकर्मी यह कह रहे थे कि वही कुल्हाड़ी अपीलार्थी के कहने पर तालाब से जब्त की गई थी। इस प्रकार पुलिस द्वारा आरोपी का बताया जा रहा मेमोरेण्डम कथन तथा जब्ती कार्यवाही सही नहीं है।

15. दिनेश कुमार निर्मलकर (अ.सा.7) तलाशी पंचनामा का साक्षी हैं, जिन्होंने बताया है कि जब पुलिस ने 10-12 लोगों को ग्राम अम्हा तालाब से

सामान तलाश करने के लिए भेजा था, तो पवन पटेल को वहां एक कुल्हाड़ी मिली थी और बंधवा तालाब से एक बैग में ईंट, एक टी-शर्ट, एक जोड़ी जूते, एक दुपट्टा (गमछा) और अंडरवियर मिला था।

16. पटवारी पद्मलोचन सिदार (अ.सा.10) ने पुलिस और तहसीलदार पामगढ़ के निर्देश पर घटना के दो माह बाद घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी.4) और पंचनामा (प्र.पी.5) तैयार किया है।

17. डॉ. सौरभ यादव (अ.सा.8) ने रिपोर्ट (प्र.पी.15) देते हुए बताया है कि खिखराम के शव का परीक्षण दिनांक 26/06/2019 को किया गया, जिसके अनुसार खिखराम के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीं:-

1. 7 सेमी. लम्बाई x 4 सेमी. चौड़ाई x 3 सेमी. गहरा घाव जो मृतक के गले के बायीं ओर पाया गया।

2. 4 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 1 सेमी. गहरा घाव क्रमांक-1 में वर्णित घाव के ठीक नीचे पाया गया।

3. 2 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहरा घाव प्रथम घाव के ठीक ऊपर पाया गया।

4. 2 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहरा घाव क्रमांक-3 में वर्णित घाव के बायीं ओर पाया गया।

5. 2 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहरा घाव तीसरे घाव के ऊपर तथा शरीर के बगल में पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.3 सेमी. लम्बाई x 1 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहरा घाव जो कि घाव क्रमांक-1 के बायीं ओर गर्दन में पाया गया।

7. 4 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहराई तथा 5 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 2 सेमी. गहरा घाव जो कि चोट क्रमांक-1 से शरीर के बगल में पाया गया।

8. 3 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 1 सेमी. गहरा घाव बायें जबड़े में पाया गया।

9. 7 सेमी. लम्बाई x 2 सेमी. चौड़ाई x 3 सेमी. गहरा घाव बायें जबड़े में गर्दन के दाहिने भाग में ऊपर से नीचे तक आयताकार आकार का पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. डॉ. यादव (अ.सा.8) का मत है कि खिखराम की उक्त चोटों में त्वचा, मांसपेशियों तथा रक्त धमनियों व शिराओं के छोटे-छोटे कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे थे। घाव लाल हो गए थे, जिनके बाहरी तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे तथा घावों में रक्त के थक्के भी मौजूद थे, जो किसी कठोर व धारदार हथियार से आए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक परीक्षण में उन्होंने पाया कि:- (i) मृतक की स्वरयंत्र व श्वासनली टूटी हुई थी तथा हृदय के दाहिने कक्ष में रक्त मौजूद था तथा बायां कक्ष खाली था। (ii) मृतक का पेट खोलने पर उसमें अपचित भोजन मौजूद था तथा छोटी आंत में पचा हुआ भोजन मौजूद था तथा बड़ी आंत व गुर्दा खाली था।

19. डॉ. सौरभ यादव (अ.सा.8) का अभिमत है कि खिखराम की मृत्यु का कारण 24 घंटे के भीतर कठोर और धारदार हथियारों से लगी चोटों और रक्त वाहिकाओं के कटने के कारण हृदयाघात और सदमे से हुई प्रतीत होती है और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक है। वह अपने प्रतिपरीक्षण में अडिग है। इस प्रकार, उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि खिखराम को गर्दन, चेहरे आदि जैसे संवेदनशील स्थानों पर धारदार हथियार से कई चोटें पहुंचाई गई थीं। उपरोक्त चोटों की प्रकृति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उन्हें पहुंचाने वाले व्यक्ति का आशय खिखराम की मौत का कारण बनना था। इस प्रकार मामला हत्या का पाया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोजन के मामले के अनुसार, सर्वप्रथम कारण के प्रश्न पर विचार करते हुए मृतक खिखराम की पत्नी चित्ररेखा (अ.सा.1) ने अपने कथन के पैरा 5 व 6 में बताया है कि अपीलकर्ता द्वारा उस पर व उसकी पुत्री पर हमला करने के कारण मामला अपीलकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में चला गया था, जिसके कारण वह उससे रंजिश रखता था तथा उसके घर के पास स्थित मंदिर में बैठकर कहता था कि वह उन्हें जान से मार देगा, इसलिए उसे अपीलकर्ता पर संदेह है। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि इस धमकी के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी।

21. मृतक की पुत्री धनेश्वरी निर्मलकर (अ.सा.2) ने अपने परीक्षण के पैरा-3 में बताया है कि घटना के 3-4 वर्ष पूर्व अपीलार्थी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की थी, जिसके संबंध में न्यायालय में मामला चल रहा था तथा घटना दिनांक 25.06.2019 को

लगभग 03.00 बजे वह उसके घर के पास स्थित बजरंगबली मंदिर के पास बैठकर कह रहा था कि "काट दूंगा साले को" परंतु उसने कोई नाम नहीं बताया तथा घटना उसी रात घटित हुई।

22. मृतक के पुत्र शिव नारायण निर्मलकर (अ.सा.3) ने अपीलार्थी की दुश्मनी का कारण उसकी मां व बहन के अलावा अन्य बताया है। शिव नारायण निर्मलकर ने बताया है कि जब वह पुणे में था, तब उसके परिवार के सदस्य उसे फोन पर बताया करते थे कि अपीलकर्ता का उनसे विवाद चल रहा है और एक बार नवधा रामायण के समय अपीलकर्ता और उसकी बहन ने प्रेमपूर्वक 20 रुपए दिए थे, जिसके कारण उनका अपने भाई जलेश्वर से झगड़ा हुआ था। इसके अलावा अपीलकर्ता ने उनके घर के आंगन में लगी सब्जियां आदि और उपले नष्ट कर दिए थे, जिसके संबंध में न्यायालय में मामला चल रहा था। प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि उसके भाई जलेश्वर ने अपीलकर्ता के साथ समझौता कर लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. तदनुसार, घटना के कारण पर विचार करते हुए यह उल्लेखनीय है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस को दी गई सूचना देहाती नालसी (प्र.पी.1) और मर्ग सूचना (प्र.पी.2) में उल्लेख किया गया है कि उनकी अपीलकर्ता के साथ पूर्व से दुश्मनी थी और इसलिए उन्हें अपीलकर्ता पर संदेह है। धनेश्वरी निर्मलकर (अ.सा.2) ने यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता ने मंदिर के पास हत्या की बात कहते समय किसी का नाम बताया था। तीनों गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उसके रिश्तेदार हैं। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि नही की है कि उनकी अपीलार्थी से दुश्मनी थी।

क्रोध एक दोधारी तलवार की तरह है जिसका उपयोग दोनो तरफ से किया जा सकता है । यदि दुश्मनी है, तो उसके कारण आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिया जा सकता है और दुश्मनी के कारण यह भी संभव है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अपीलकर्ता को मामले में फंसाने की कोशिश की हो । इस तरह जब गवाहो के रिश्तेदार के बयान में आया है कि अपीलार्थी द्वारा मारपीट की घटना इस हत्या की घटना से 3-4 साल पहले की है, तो इस हत्या के अपराध का दुश्मनी का करण स्वाभाविक और विश्वसनीय नही है ।

24. अब अभियोजन के दूसरे आधार पक्ष पर विचार करते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में यह उद्धृत किया गया है, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन के अन्तर्गत अम्हा तालाब से कुल्हाड़ी की जब्ती तथा घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गये कपड़ों की जब्ती बंधवा तालाब से की गयी है, आदि। डॉ. सौरभ यादव, (अ.सा.8) द्वारा दी गयी रिपोर्ट (प्र.पी.19) के अनुसार उक्त जब्त कुल्हाड़ी की जांच करने पर मृतक के शरीर पर पाये गये घाव उसी कुल्हाड़ी से आये हो सकते हैं। डॉ. सौरभ यादव ने रिपोर्ट (प्र.पी.17) प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि अन्य वस्तु भी परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये, जिसके अनुसार उन्होंने कुल्हाड़ी के साथ–साथ अन्य जब्त कपड़ों को भी रासायनिक परीक्षण हेतु पुनः सील करने तथा आरक्षक को सौंपने को कहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर की जांच रिपोर्ट अभिलेख पर संलग्न है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल की सादी मिट्टी में खून का कोई धब्बा नहीं पाया गया है जबकि घटनास्थल से बरामद अपीलार्थी के दुपट्टे (गमछा), अंडरवियर, तौलिया एवं बैग पर खून का धब्बा पाया गया है। घटनास्थल से जब्त बनियान एवं खून से सनी मिट्टी में मानव रक्त पाया गया है। मृतक खिखराम के अंडरवियर में मानव रक्त पाया गया है। अपीलार्थी लछराम उर्फ छोटेलाल साहू द्वारा बताने पर कथित रूप से जब्त कुल्हाड़ी एवं टी–शर्ट में भी मानव रक्त पाया गया है। जिन वस्तुओं में मानव रक्त पाया गया, वे किस समूह की हैं, इसकी कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं है तथा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उनका रक्त समूह भी ज्ञात नहीं हो सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. घटना में अपीलकर्ता की संलिप्तता दर्शाने के लिए गांव के अम्हा एवं बंधवा तालाब से कुल्हाड़ी एवं कपड़े जब्त किए गए हैं। इस मामले में श्रीमती चित्ररेखा (अ.सा.1), धनेश्वरी निर्मलकर (अ.सा.2), सतीश कुमार रात्रे (अ.सा.4), दिनेश कुमार निर्मलकर (अ.सा.7), मनोज कुमार गौरहा (अ.सा.9) एवं आरक्षक राजकुमार लहरे (अ.सा.11) ने अपना अभिमत दिया है तथा कथन में स्वीकार किया गया है कि दोनों तालाबों का उपयोग समस्त ग्रामवासी व्यापक रूप से करते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि तालाब ऐसा स्थान नहीं है, जो केवल एक व्यक्ति के ज्ञान में रहा हो।

27. उपनिरीक्षक राजकुमार लहरे (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उन्होंने अपीलार्थी को हिरासत में लेकर पंचायत भवन के पास गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ की तो अपीलार्थी ने बताया कि कुल्हाड़ी को अम्हा तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया था तथा घटना के बाद पहने हुए कपड़े, जूते, कंबल को थैले में डालकर बंधवा तालाब के पानी में फेंक दिया है। तत्पश्चात अम्हा तालाब के दूसरी ओर उपस्थित कुल 10 लोगों के उपस्थिति में कुल्हाड़ी व थैला ढूंढ़ने का प्रयास किया गया, मेमोरेण्डम प्र.पी.7 लिखा गया, जब्ती पंचनामा प्र.पी.8 तैयार किया गया, तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा बताए गए स्थान पर अम्हा तालाब से लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर जब्त की गई तथा प्र.पी.9 तैयार किया गया। अपीलार्थी के कथन के आधार पर बंधवा तालाब से एक फुल आस्तीन की टी–शर्ट, अंडरवियर, एक दुपट्टा (गमछा), एक जोड़ी जूते और एक ईंट जब्त कर प्र.पी.10 तैयार किया गया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसने जब्त कपड़े, जूते आदि की कोई पहचान प्रक्रिया नहीं की है। पवन कुमार पटेल (अ.सा.6) का कथन है कि जिस स्थान पर खीखराम मृत पाया गया था, वहां से कोई कुल्हाड़ी बरामद हो सकती थी। उसने स्वीकार किया है कि जब्ती में कोई नमूना सील नहीं दिखाया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब्ती प्र.पी.9 और प्र.पी.10 में अभियुक्त के हाथों से वस्तुओं की जब्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

28. अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.7, तलाशी पंचनामा प्र.पी.8, जब्ती प्र.पी.9 एवं प्र..पी.10 तथा गवाह सतीश कुमार रात्रे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(अ.सा.4) एवं मनोज कुमार गौरहा (अ.सा.9) ने अपने कथन में मेमोरेण्डम एवं जब्ती की कार्यवाही के बारे में बताया है। इस मामले में अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि उपरोक्त मेमोरेण्डम एवं जब्ती को विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनार्थ किसी वस्तु की खोज केवल अभियुक्त के ज्ञान पर ही की जानी चाहिए तथा उस वस्तु का अपराध से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, तभी अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित की जा सकती है। इस मामले में न तो वस्तु को एकमात्र अपीलार्थी के ज्ञान पर गुप्त परिस्थितियों में जब्त किया गया है और न ही जब्त वस्तुओं का अपराध अथवा अपीलार्थी से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया है। जब्त कपड़ों और चप्पलों की पहचान करके यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि वे अपीलकर्ता के हैं। यह भी स्थापित नहीं किया जा सका है कि कुल्हाड़ी एकमात्र अपीलकर्ता के कहने पर जब्त की गई थी और कुल्हाड़ी को थाने में सुरक्षित रखा गया था। इस स बंध में थाने का कोई लेख–पंजिका उपलब्ध नहीं है। साक्ष्य के दौरान कुल्हाड़ी को न्यायालय में प्रस्तुत भी नहीं किया गया है और इसे घटना के लगभग एक माह बाद 27/07/2019 को चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि इस एक माह के दौरान वस्तुओं को सुरक्षित रखा गया था। प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट से भी यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि यदि कुल्हाड़ी में मानव रक्त पाया भी गया था, तो वह मृतक के रक्त समूह का था। कुल्हाड़ी में मानव रक्त का पाया जाना भी संदिग्ध है क्योंकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुल्हाड़ी की बरामदगी कथित तालाब की मिट्टी से बताई गई है। इतने गहरे पानी में घटना के बाद कुल्हाड़ी पर रक्त का रहना स्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदिग्ध एवं अविश्वसनीय है।

29. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रामानन्द उर्फ नन्दलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में पारित निर्णय का हवाला दिया है, **जो एआईआर 2022 एससीसी 5273** में रिपोर्ट किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का उल्लेख पैरा 52 एवं 53 में किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जब्ती कार्यवाही किस प्रकार प्रमाणित की जाए, जो निम्नवत है:–

> 52. **साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 इस प्रकार है:**
> "27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी – परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतदद्वारा पता चले हुये तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

53. "यदि जांच अधिकारी के बारे में यह कहा जाए कि अभियुक्त अपीलकर्ता ने हिरासत में रहते हुए अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से यह बयान दिया कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार अपने खून से सने कपड़ों के साथ छिपाया था, तो जांच अधिकारी को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस थाने में पहुंचें तो उसके बाद उनकी उपस्थिति में अभियुक्त से कहा जाना चाहिए कि वह उस स्थान को इंगित करने के संबंध में अपनी इच्छानुसार कोई उचित बयान दे, जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाने की बात कही है। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है तो अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक बयान या बल्कि उसके द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे जांच अधिकारी विधि के अनुसार तैयार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस थाने में तैयार किया जाता है, ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि अभियुक्त द्वारा एक निश्चित बयान दिया गया था, जिसमें उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और स्वेच्छा से उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त की थी, जहां अपराध के हथियार या अपराध करने में इस्तेमाल की गई कोई अन्य वस्तु छिपाई गई थी। पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के साथ आरोपी द्वारा बताए गए विशेष स्थान पर जाएगा। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई चीज मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामा का दूसरा भाग बनेगा। कानून इस तरह से जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तलाशी पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा करता है। यदि हम जांच अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के उपरोक्त सभी प्रासंगिक पहलुओं में कमी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त अवधारणा के आलोक में यदि उपनिरीक्षक राजकुमार लहरे (साक्षात्कारकर्ता) (अ.सा.11) के कथन पर गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता को कुल्हाड़ी या कपड़े खोजने के लिए अम्हा तालाब या बंधवा तालाब में नहीं उतारा गया था। उपनिरीक्षक राजकुमार लहरे के कथन के अनुसार 10–12 लोगों को तालाब में सामान खोजने के लिए उतारा गया था। इसकी पुष्टि मेमोरेण्डम और जब्ती के गवाह सतीश कुमार रात्रे (अ.सा.4) और

मनोज कुमार गौरहा (अ.सा.9) के कथनों से होती है। इन गवाहों के कथनों के अनुसार कथित कुल्हाड़ी पवन कुमार पटेल (अ.सा.6) द्वारा तलाशी के समय अम्हा तालाब में पाई गई थी। पवन कुमार पटेल द्वारा दिए गए कथन के अनुसार कुल्हाड़ी का लोहे वाला हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था और लकड़ी ऊपर की तरफ थी। ऐसी स्थिति में जब कुल्हाड़ी का लोहे वाला भाग मिट्टी में दबा हुआ था, तो उसमें खून पाया जाना पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है। इसलिए तालाब से जब्त की गई वस्तुओं को डॉक्टर एवं प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाने में संदेह उत्पन्न होता है।

31. पवन कुमार पटेल (अ.सा.6) ने यह भी कहा है कि घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस आई और पूछताछ की तो घटना स्थल अर्थात जहां खीखराम की हत्या हुई थी, वहां शिकायतकर्ता के घर में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, जिसे पुलिसकर्मी ले गए। जब्त की गई कुल्हाड़ी के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसे पुलिसकर्मी घटनास्थल से ले गए थे। इस स्तर पर अपीलकर्ता पक्ष के इस तर्क से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चित्ररेखा (अ.सा.1) के अनुसार कुल्हाड़ी जो उसके पति खीखराम सोते समय अपने पास रखते थे, उसे पुलिसकर्मी घटना स्थल से उठाकर ले गए थे तथा बाद में उसे जब्ती के रूप में दर्शाया गया। मृतक खीखराम के भाई काशीराम (अ.सा.5) ने भी कहा है कि पुलिसकर्मी लगातार गांव में आ रहे थे तथा गांव में यह चर्चा भी था कि बंधवा व अमहा तालाब में कुछ सामान मिला है, जिसमें कपड़े व कुल्हाड़ी शामिल है। इसलिए अपीलकर्ता के घटना स्थल पर की गई जब्ती संदिग्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निर्णय के आलोक में यदि हम मेमोरेण्डम और जब्ती के गवाहों के कथन को देखें तो सतीश कुमार रात्रे (अ.सा.4) ने मेमोरेण्डम में कहा है कि अपीलकर्ता ने कहा था कि कुल्हाड़ी को अम्हा तालाब में फेंका था और जब 7–8 लोग उसे तालाब में खोजने गए तो पवन को कुल्हाड़ी मिली थी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जब उसने व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता से घटना के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। उसने यह भी कहा कि पुलिसकर्मी लगातार गांव में आ रहे थे और आरोपी के चेहरे को कपड़े से ढक दिया था। कपड़े आदि की जब्ती के संबंध में इस गवाह का कहना है कि पुलिसकर्मी उसे और अन्य लोगों को बंधवा तालाब ले गए थे, जहां आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से एक बैग में टी–शर्ट, अंडरवियर, एक जोड़ी जूते, एक दुपट्टा (गमछा) और एक ईंट बरामद की गई। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि आरोपी ने उसके सामने पहले पुलिस को बंधवा तालाब में सामान रखने की बात बताई थी और फिर पुलिसकर्मी उसे बंधवा तालाब ले गए थे। इस प्रकार इस गवाह का बयान इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. मेमोरेण्डम एवं जब्ती का दूसरा गवाह मनोज कुमार गौरहा (अ.सा.9) है। उसने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि अपीलार्थी ने पुलिस को कुल्हाड़ी को अम्हा तालाब में फेंक देंना तथा घटना के समय पहने कपड़े एवं जूते को बंधवा तालाब में ईंटों के साथ फेंक देना तथा उसे बरामद कर देना बताया था । इसके पश्चात सर्वप्रथम अम्हा तालाब पर गये

जहां आरोपी ने कुल्हाड़ी फेंकी थी। उस स्थान पर कुछ लड़के तालाब में उतरे और पवन पटेल को कुल्हाड़ी मिली जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया। उसके बाद आरोपी के साथ बंधवा तालाब पर गये वहां भी कुछ लड़कों को तालाब में उतारा गया और बैग में टी–शर्ट, दुपट्टा(गमछा), अंडरवियर एवं ईंटें मिली। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने बताया कि अधिकांश लड़के जो निर्मलकर जाति के थे, तालाब में तलाशी के लिए उतारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह की कुल्हाड़ी उन्हें मिली है, वह गांवों में आम तौर पर किसानों और मजदूरों के पास पाई जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116** के मामले में यह अवधारणा व्यक्त किया है जिसके अनुसार परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला पूरी होनी चाहिए जो अपीलकर्ता के अपराध के निष्कर्ष तक ले जाए, तभी उसे दोषी ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय के मामले में उल्लिखित मुख्य कड़ियाँ इस प्रकार हैं:–

"किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्थापित कहे जाने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:–

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए या होनी चाहिए, न कि केवल 'हो सकती हैं'.

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. यदि पूर्व उदाहरणों के प्रकाश में विचार किया जाए तो प्रस्तुत साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतक के परिजनों ने जिस प्रकार घटना से 3–4 वर्ष पूर्व हुई मारपीट को दुश्मनी का आधार बताकर अभियुक्त द्वारा हत्या करने का कारण बताया है, वह कारण घटना से ठीक पहले का नहीं बल्कि उससे भी बहुत पहले का है। कारण दोधारी तलवार के

समान है, जिसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, अतः बताए गए कारण का आधार अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है।

36. जहां तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि जहां खीखराम का शव मिला, वहां एक कुल्हाड़ी भी मिली थी। खीखराम की पत्नी चित्ररेखा (अ.सा.1) के अनुसार खीखराम सोते समय अपने साथ कुल्हाड़ी रखता था, ताकि कुत्तों आदि को डरा सके। पवन कुमार पटेल (अ.सा.6) के अनुसार कुल्हाड़ी को पुलिसकर्मी मौके से ले गए थे। पुलिसकर्मियों ने कुल्हाड़ी का क्या किया, इस बारे में पूरा अभियोजन मामला मौन है। इसलिए अपीलार्थी के घटना स्थल पर कुल्हाड़ी की जब्ती संदेहास्पद है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

37. अभियोजन मामले में, अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर कुल्हाड़ी व कपड़े की जब्ती को गांव के आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तालाब से जब्ती बताया जा रहा है। वह आम तालाब ऐसा स्थान नहीं है, जो केवल अपीलार्थी को ही ज्ञात हो। अभियुक्त स्वयं कुल्हाड़ी अथवा अपने कपड़े आदि की तलाश के लिए तालाब में नहीं उतरा है। इस कारण जब खुले स्थान से वस्तु की जब्ती की जा रही है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के आशय के अनुसार तथा वर्तमान मामले के प्रकाश में यह विधिवत् प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि यह एकमात्र अपीलकर्ता के कहने पर कपड़े, चप्पल आदि की जब्ती है। अतः

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन से लिया गया आधार संदेह से परे सिद्ध नहीं पाया जाता है।

38. फोरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार उक्त कुल्हाड़ी पर मानव रक्त पाया गया है, किन्तु वह मानव रक्त मृतक के रक्त समूह का था या नहीं, यह अभियोजन द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका। खिखराम की हत्या का उस कथित कुल्हाड़ी से सीधा संबंध नहीं है तथा कड़ियाँ पूरी नहीं हुई हैं। पवन कुमार पटेल (अ.सा.6) ने कहा कि कथित कुल्हाड़ी तालाब की मिट्टी से बरामद की गई थी। जिस कुल्हाड़ी का लोहा मिट्टी से सना हो, उसमें मानव रक्त पाया जाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है। पवन ने स्वयं कहा है कि घटनास्थल अर्थात खीखराम के शव के पास से पुलिस द्वारा ली गई कुल्हाड़ी अभियोजन के पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है। इस कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधीचंद शारदा (सुप्रा)** निर्णय में व्यक्त अवधारणा के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपीलकर्ता ने ही खीखराम की हत्या की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले में बताए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है। साक्ष्य की व्याख्या में विचारण न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था जो कि विचारण न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए, दोषसिद्धि और सजा का मामला कायम रखने योग्य नही पाया जाता है ।

9. तदनुसार, इस विषय में उपरोक्त चर्चा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है और उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता– लछराम उर्फ छोटे लाल साहू को तत्काल रिहा किया जावे, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(गौतम भादुडी)
न्यायाधीश

सही /-
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur